

चेक लिस्ट क्र. 28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी.प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

(E-mail:- eemp.bilaspur.cg@nic.in) Phone – 07752-400946

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लोक निर्माण विभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ – कापू मार्ग का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रस्तावित है। जिसकी कुल लम्बाई 32.790 कि.मी., जिसमें 10.465 हेक्टे. वन भूमि प्रभावित हो रही है। संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

(ए. के. दीवान)

परियोजना प्रबंधक

(ए.डी.बी. प्रोजेक्ट)

छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना

लो.नि.वि., बिलासपुर (छ.ग.)

वनमंडलाधिकारी

धरमजयगढ़ वनमंडल (छ.ग.)

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,

तहसील-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

विषय:- रायगढ़ जिला अंतर्गत धरमजयगढ़ -कापू मार्ग कुल लंबाई 32.956 कि. मी के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी।

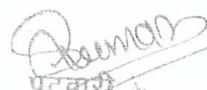
संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 2549 / वा0ना0 तह0 / 2020, धरमजयगढ़ दिनांक 08 / 12 / 2020-

000

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिपालन में ग्राम खम्हार पटवारी हल्का नंबर 06 राजस्व निरीक्षक मंडल खम्हार तहसील धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ0ग0) के कक्ष क्रमांक 629 रकबा 0.486 हैं0 वन परिक्षेत्र बोरो में वन भूमि प्रभावित है जिसमें प्रभावित रकबा में किसी भी व्यक्ति के वनाधिकार पत्र प्राप्त नहीं है तथा प्रभावित कक्ष क्रमांक 629 रकबा 0.486 हैं भूमि पर वनाधिकार पट्टा नहीं मिला है।

अतः यह प्रतिवेदन उचित

कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।


पटवारी
प0ह0ग0-05
तहसील-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

10/12/20

का कार्यवाही विवरण

ग्राम खम्हार ग्राम पंचायत खम्हार दिनांक 28/11/2020
 स्थान सामुदायिक वन
 आज दिनांक 28/11/2020 को ग्राम खम्हार के सरपंच श्री/श्रीमती जिन्नाम

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य 28/11/2020 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम खम्हार में आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु रकबा 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व/वन भूमि कुल 0.486 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि रकबा 629 खम्हार 0.486 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता प्रदान वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मी)
1.	<u>खम्हार</u>	<u>जिन्नाम</u>	<u>629</u>
	<u>खम्हार</u>	<u>खम्हार</u>	<u>629</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि रकबा 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.486 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स खम्हार (आवेदक) खम्हार को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव खम्हार ग्राम पंचायत खम्हार ज.प.-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 सरपंच खम्हार ज.प.-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 ज.प.0-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
 (3) ज.प.0-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना.....हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायतखम्हार.....आश्रित खम्हार ग्रामखम्हार.....को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

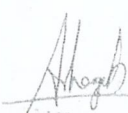

सचिव
ग्राम पंचायत-खम्हार
ज०प०-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ०ग०)


सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.-धरमजयगढ़

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

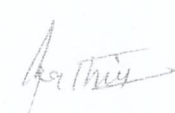
01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम खम्हार के परिक्षेत्र बारा में कक्ष क्र० 629 वनभूमि 0.486 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक..... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर


वन विभाग के हस्ताक्षर
जगरगीछी


संतोष कुमार पाली
पहल
धरमजयगढ़, जि. रायगढ़


सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.प.-धरमजयगढ़


वन अधिकारी रायगढ़
गुमा पो-खम्हार
तहसील-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ०ग०) वन अधिकारी

01. 14/05/2024
02. 14/05/2024
03. 14/05/2024

910128 - 1367 (201803)

सामान्य प्रश्नोत्तर विभाग की गठना
विभाग विभाग

02/12/21

क्रमांक	सुविद्यत लक्ष्यों के नाम	प्रस्ताव का विषय	कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव को परामर्शित
1.	श्री चिन्तामणी लड़िया	प्र.क्र. 03	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
2.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 04	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
3.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 05	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
4.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 06	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
5.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 07	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
6.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 08	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
7.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 09	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
8.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 10	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
9.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 11	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
10.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 12	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
11.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 13	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
12.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 14	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित
13.	सुप्रभात लड़िया	प्र.क्र. 15	प्रस्ताव	प्रस्ताव को परामर्शित

सचिव
ग्राम पंचायत—खम्हार
ज० पं०—धरमजयगढ़
जिला—रायगढ़ (छ०ग०)

ग्राम पंचायत खम्हार
जा प - धरमजयगढ़

का कार्यवाही विवरण

ग्राम मिरिगुडा
स्थान मिरिगुडा

ग्राम पंचायत मिरिगुडा

दिनांक 16/10/20

आज दिनांक को ग्राम मिरिगुडा के सरपंच श्री/श्रीमती शुक्रा

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम मिरिगुडा में आवेदक ARBCPO (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्त हेतु कुच 354 हे. वन भूमि 0.626 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.626 हे. वन भूमि की मांग गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी। 558/1K-0.83 558/9K-1.132; 209/1K 0.54 कुच 2.502
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के सपये बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवा (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सख निम/07 कार्य कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता प्रदान वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	<u>मिरिगुडा</u>	<u>मिर्क</u>	<u>00-00</u>
02	<u>मिरिगुडा</u>	<u>मिर्क</u>	<u>00-00</u>

पक्षि
धर्मजयगढ़

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कुच 354 हे. वन भूमि 0.626 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.626 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ARBCPO (आवेदक) प्र. 1405 को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे। (100)

धर्मजयगढ़
ग्राम पंचायत मिरिगुडा
जनपद पंचायत धर्मजयगढ़
C:\Users\admin\Downloads\42526(1).docx

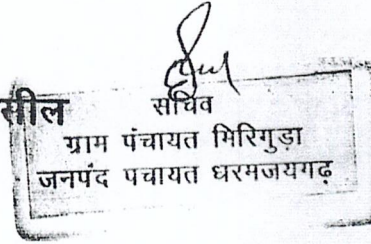
धर्मजयगढ़
ग्राम पंचायत मिरिगुडा
जनपद पंचायत धर्मजयगढ़
1405
ARBCPO
प्र. 1405
(100)

हरवार
हस्ताक्षर हरवार
नाम हरवार
हरवार
हरवार

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना ६०७२.५०.५६.३ दि. १५.५.७७ हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा आश्रित मिरिगुड़ा ग्राम मिरिगुड़ा को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच



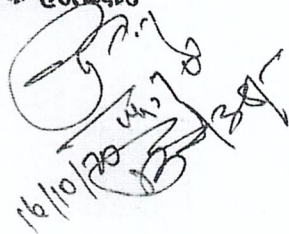
हस्ताक्षर
सरपंच
ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा
जनपद-धरमजयगढ़

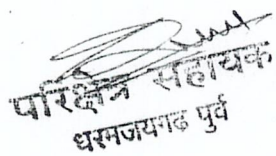
परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर

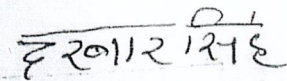
वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम मिरीगुडा के परिक्षेत्र धरमजयगढ़ में कक्ष क्र० 054 वनभूमि 0.636 हे० हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक..... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (c) के अंतर्गत विषेय रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर


16/10/20

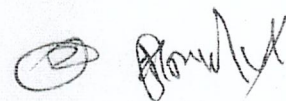

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पूर्व



अध्यक्ष
वन अधिकार सभा
ग्राम मिरीगुडा
वन विभाग के हस्ताक्षर

वन अधिकारी (समिति ल)

① S. Mohlone

② 

③ राजश्री

④ पित्तल

⑤ सारितार



विकास खण्ड

धर्मपुरा मणिक

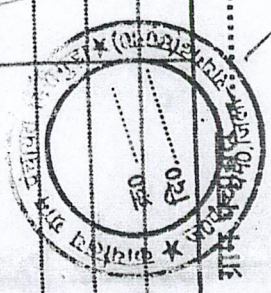
तहसील

धर्मपुरा मणिक

जिला

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमती कुमारी निवाड़ी यादव	काम-धर्मपुरा मणिक	उत्पन्न हुआ	प्रस्ताव जो पास हुआ	25/12
2	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	विचार किया गया कि धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
3	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
4	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
5	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
6	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
7	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
8	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
9	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
10	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
11	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
12	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
13	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
14	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
15	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
16	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
17	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
18	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
19	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	
20	श्रीमती ललित	काम-धर्मपुरा मणिक	काम-धर्मपुरा मणिक की	प्रस्ताव जो पास हुआ	



विकास

ग्राम पंचायत मिरीशुत्र

जनपद पंचायत धर्मपुरा मणिक

क्रमांक

दिनांक

विचारित किया गया है:

नम्र आदवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र प्राप्त
1		

प्रसाधित है / उक्त वर्ग है वन संरक्षण क्षेत्रों में
 1980 के लक्ष्य 355, 360 PF से प्रसाधित था
 0.213, 0.311 हेक्टेयर पर क्षेत्र / खिखर क्षेत्र से निर्यात
 भी था कि वह वन अधिकारी की जानकारी की जा सकती है
 2006 के लक्ष्य वन अधिकार पर प्राप्त नहीं है
 प्रसाधित वर्ग पर वनारी सादर स्थित है

सित: प्रसाधित क्षेत्र का वनारी क्षेत्र
 सादर स्थित है

21/12/2021
 Prasad
 PCN-
 21/12/2021

259

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के
सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

- अथवा**

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मै)
01	ग्वारधुली	निरंक	00-00
	ग्वारधुली	निरंक	00-00

हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ०.५२५ हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स हॉल्डिंग्स प्रा. लि. (आवेदक) विष्णुपुरा को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यवहृत की जावे।

समस्त २०८५ दिनांक

व्यक्ति, लिंग

वन भू अधिकार समिति हस्ताक्षर

ग्राम प्रधान-शिवराज

पञ्चायत, जि. गंगानगर नाम

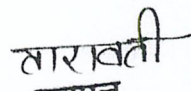
दिनांक

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना ^{उत्तर क्र. 360-0-213, 355-0311} ^{जुलै-08-524 हे०} हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर ^{ज. वारधुदरी} आश्रित ^{ज. वारधुदरी} ग्राम ^{ज. वारधुदरी} को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच


सचिव
ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर
ज० ४०-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ० ग०)


तारावती
सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ० ग०)

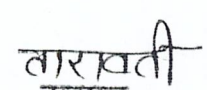

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पूर्व

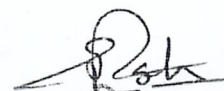
वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

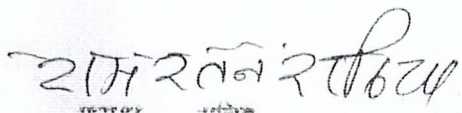
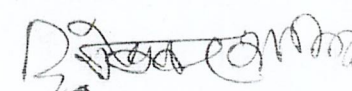
01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम लक्ष्मीपुर के परिक्षेत्र 4/4/12/2/1 में कक्ष क्र० 360-0.813 एड्डे 855-0.811 0.524 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक..... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर


परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पुर
वन विभाग के हस्ताक्षर


संरपच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.गं.)


सचिव
ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर
ज०प०-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ०ग०)


अध्यक्ष सचिव
वन भू. अधिकार समिति
ग्राम पंचायत-लक्ष्मीपुर
ज०प०-धरमजयगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.गं.)
वन अधिकार समिति

हेमन्त यादव


कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक ०२-१२-२०२०

मि-पंचायत लक्ष्मीपुर

विकास खण्ड

धरमजयगढ़

तहसील

धरमजयगढ़

जिला

बायगढ़

सत्य प्रतिलिपि

क्र.सं.	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
01	श्रीमती लारावती	प्र. ०३०६ पर	आज दिनांक ०२-१२-२०२० को सत्रपंच	उक्त प्रस्ताव	OL
02	राठिया सत्रपंच	धरमजयगढ़ के	श्रीमती लारावती राठिया की अध्यक्षता	उपस्थित	
03	श्री मनोज मिश्र	का. ३२-५९ कि०	में पंचायत के एकमात्र महिला पंचों की	पंचों की	
04	उपसत्रपंच	मीनवन अधिकार	हस्ता कि इस उपस्थित पंचों के	सर्व सहमती	
05	हामिर साय पंच	स्मिता के	समस्त निर्णय लिया कि धरमजयगढ़	स चारित	
06	मनीष कुमार	संख्या में वन	से का. ३२-५९ कि.मी. चौड़ी कर	किया गया	
07	मुनेश्वर	अधिकार नियम	एवं नवीनीकरण में वन अधिकार नियम		
08	हामीर कुमार	२००६ धारा ३०१	२००६ के अन्तर्गत का. ३०१ ३६०-०३३		
09	खिद्याकार	एवं ३(२) के	३३५-०३३ ०-३२५६० वन परिसेन		
10	श्रीमती सबीना	संख्या में	वावरधुरी में वन अधिकार समिति एवं		14Nक
11	बिबिनिशिया		ग्राम-सभा के द्वारा भूमि व्यवपत्ति के		
12	सुमीला		अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति		
13	पुनीला		झार गौर परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़		
14	विनोद		किसलह ग्राम वावरधुरी में ३३ के समीप		
15	सुक्का		किसी को वन अधिकार पत्र प्रदाय नहीं		
16	कुलकुवर	सत्यप्रतिलिपि	किया गया	तारावती	

दिनांक ०२-१२-२०२०

ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर

जिला-बायगढ़

ग्राम पंचायत धरमजयगढ़

ग्राम पंचायत

लक्ष्मीपुर

उपस्थित पंचायत के सदस्य

श्रीमती लारावती, श्रीमती सबीना, श्रीमती पुनीला, श्रीमती विनोद, श्रीमती सुक्का, श्रीमती कुलकुवर

ग्राम सभा नकुना की बैठक दिनांक

का कार्यवाही विवरण

ग्राम नकुनाग्राम पंचायत नकुना

दिनांक

स्थान नकुनाआज दिनांक को ग्राम नकुना के सरपंच श्री/श्रीमती गंधुबाम देवकी अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के १३ सदस्य ५५ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम नकुना में आवेदक N.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ६५५ हे. वन भूमि ०.५६२ हे. राजस्व वन भूमि कुल ०.५६२ हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ०.५६२ हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
①	<u>नकुना</u>	<u>निरंज</u>	<u>०.००</u>
②	<u>नकुना</u>	<u>निरंज</u>	<u>०.००</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि ५५.६५५ हे. वन भूमि ०.५६२ हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग ०.५६२ हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ६००७ ५५५ ५५०७ (आवेदक) नकुना को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

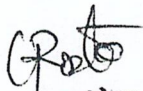
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.प.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत नकना
ज.प.धरमजयगढ़

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
हस्ताक्षर अनुभाग - धरमजयगढ़ (छ.ग.)
नाम गोबिंद साय
विनय

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना ~~अ.डी.बी. प्रोजेक्ट~~ 6.44-2387.0.4.2 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ~~...~~ आश्रित ~~...~~ ग्राम ~~...~~ को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।



 साचिव सरपंच
 ग्रा प - नकना ग्राम पंचायत नकना
 ज प - धरमजयगढ़ ज.पं. धरमजयगढ़
 जिला रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयुन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम चौड़िकरण के परिक्षेत्र 672 में कक्ष क्रं० 641 वनभूमि 0-462 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक..... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेय रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर

संयुक्त

सरपंच

ग्राम पंचायत नकना
ज.पं. धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

Done

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति नकना
वन विभाग - धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन अधिकारी सहस्य

दिनांक

जाहट

का कार्यवाही विवरण

ग्राम खम्हार ग्राम पंचायत खम्हार दिनांक 28/11/2020
स्थान सामुदायिक वन खम्हार

आज दिनांक 28/11/2020 को ग्राम खम्हार के सरपंच श्री/श्रीमती नि.शामनी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम खम्हार में आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व/वन भूमि कुल 0.486 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1.	<u>खम्हार</u>	<u>नि.शामनी</u>	
	<u>खम्हार</u>	<u>खम्हार</u>	

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.486 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ह.ए.ए.एस.एस. (आवेदक) खम्हार को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत खम्हार
धरमजयगढ़ ज.पं.-धरमजयगढ़
रायगढ़ (छ.ग.)

सरपंच

वन अधिकारी (सह) लक्ष्मी प्रसाद डनतेला

हस्ताक्षर नि.शामनी
नाम नि.शामनी
ग्राम पो-खम्हार
तहसील-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

② Rathiy
सचिव

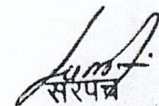
(3) जोशिमह शास्त्रिया

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना.....हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत~~खम्हार~~.....आश्रित ~~खम्हार~~ ग्राम~~खम्हार~~.....को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच


सचिव
ग्राम पंचायत-खम्हार
ज.पं-0-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)


सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.पं.-धरमजयगढ़

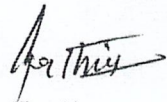
वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

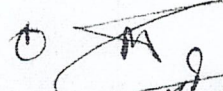
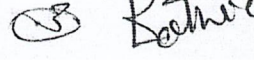
01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम के परिक्षेत्र में कक्ष क्र० वनभूमि हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सिल निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर


सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.प.-धरमजयगढ़


ज.प.स.स.
जन अधिकार समिति
ग्राम पो०-खम्हार
तहसील-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ०ग०)

① 
② 
③ 

प्रति,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

तहसील-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़(छ0ग0)

विषय:- रायगढ़ जिला अंतर्गत धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लम्बाई 32.956 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुर्ननिर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करकने हेतु वन-अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय करने जांच प्रतिवेदन पेश करने बाबत्।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक /2549/वा0ना0तह0/2020 धरमजयगढ़ दिनांक 08/12/2020

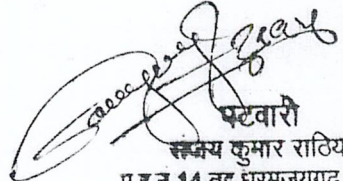
.....000.....

विषयांतर्गत ग्राम सोनपुर प0ह0नं0-14 रा0नि0मं0-कापू तहसील-धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़(छ0ग0) के क्षेत्रांतर्गत मुख्य मार्गों के समानांतर व्यवर्तित होने वाले वनभूमि एवं राजस्व वन भूमि का वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्रदाय करने हेतु हल्का पटवारी व उपस्थित ग्रामवासी के समक्ष खसरा नम्बर 80 व 35 रकबा क्रमशः 1.762, 1.773 हे0 भूमि का जांच किया गया।

1. आवेदित भूमि 80आर0 एफ0, 35 आर0 एफ0 रकबा क्रमशः 1.762, 1.773 हे0 वन विभाग की रिजर्व फारेस्ट की है, कोई कब्जा नहीं है।
2. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत किसी को वन-अधिकार पट्टा प्रदाय नहीं किया है।
3. आवेदित भूमि में कोई भी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग निवास नहीं करते हैं।
4. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के तहत कोई शासकीय पाठशाला, आंगनबाड़ी अस्पताल व शासकीय सेवा विद्यमान नहीं हैं।
5. आवेदित भूमि क्षेत्रांतर्गत कोई चारागाह व खेल मैदान हेतु प्रस्तावित नहीं है।
6. आवेदित भूमि के क्षेत्रांतर्गत किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है।

संलग्न प्रति

1. पंचनामा


पटवारी
संलग्न कुमार राठिया
पृष्ठ नं 14, तह. धरमजयगढ़ (छ ग.)


12/02/21

का कार्यवाही विवरण

ग्राम सोनपुर ग्राम पंचायत सोनपुर दिनांक 15/12/2020
 स्थान सोनपुर आज दिनांक 15/12/2020 को ग्राम सोनपुर के सरपंच श्री/श्रीमती बलवन्ती तिकी

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के सामुदायिक
 सदस्य 5.5/100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :- राठिया

1. ग्राम 100 में आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्षा 80/35 हे. वन भूमि 1:762 हे. राजस्व वन भूमि कुल 3.535 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 3.535 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे हैं एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे)
	<u>सोनपुर</u>	<u>निरंक</u>	<u>0.00</u>
	<u>सोनपुर</u>	<u>निरंक</u>	<u>0.00</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्षा 80/35 हे. वन भूमि 3.535 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 3.535 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स हर्षा सहस्र परिग्रह (आवेदक) बिलासपुर ADB (P.W.D.) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बलवन्ती तिकी
 सरपंच
 ग्राम पंचा. - सोनपुर
 ज.प. - धरमजयगढ़
 जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
 परिक्षेत्र सहायक
 सरिया

निरंक
 ग्राम पंचायत - सोनपुर
 जनपद पंचायत - धरमजयगढ़
 जिला - रायगढ़ (छ.ग.)
 ग्राम पंचायत - सोनपुर

Ramdhani
रामधनी (अध्यक्ष)
 हस्ताक्षर
 नाम
 ① सुनील
 ② नरेश

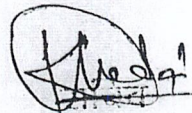
अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना रु. क्र. 80-35-स्कवा 3:535 हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत

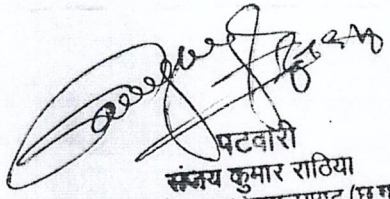
... सोनपुर आश्रित सोनपुर ग्राम सोनपुर को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।

बलवन्ती तिवारी
सरपंच
ग्राम पंचा. - सोनपुर
ज.प. - धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील
सचिव सरपंच


ग्राम पंचायत - सोनपुर
ज.प. - धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

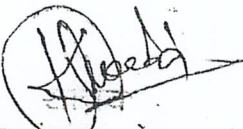

परिक्षेत्र सहायक
सरिया

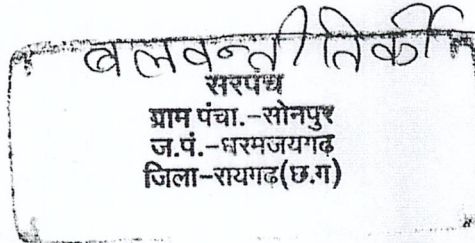

पटवारी
संजय कुमार राठिया
पहुन 14, तह. धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनपुर के परिक्षेत्र कापु में कक्ष क्रं 80-35 RF वनभूमि 3.535 हे० हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक..... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच किया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरीक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरीक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

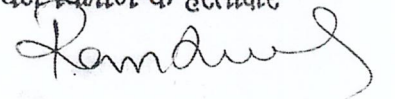
राजस्व विभाग के हस्ताक्षर


ग्राम पंचायत - सोनपुर
जयगढ़ पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

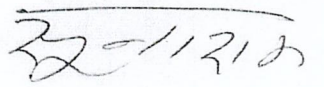


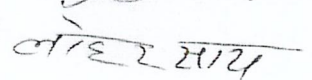
परिक्षेत्र सहायक

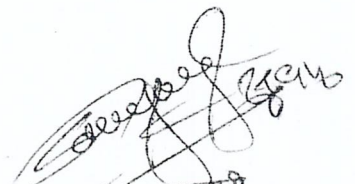
सूरिया
वन विभाग के हस्ताक्षर



वन अधिकार समिति सदस्य

(1) 

(2) 


पटवारी
इंद्रस्य कुमार राठिया
पहल 14, तह. धरमजयगढ़ (छ.ग.)

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 12.12.2020

ग्राम, ग्राम-पंचायत



विकास खण्ड

चरमजयगढ़

तहसील चरमजयगढ़

जिला

सुरेन्द्रगढ़ (ह.ज.)

सत्य प्रतिलिपि

क्रम/क	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमति बलवन्त देवी	बैठक (सुरेन्द्रगढ़)	15.12.2020 को	उक्त प्रस्ताव	84
2	श्री रामबाई - वम	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
3	श्री जानकी बाई	सुरेन्द्रगढ़	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
4	श्री रामबाई	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
5	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
6	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
7	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
8	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
9	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
10	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
11	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
12	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
13	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
14	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
15	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
16	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
17	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
18	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
19	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के
20	श्री लक्ष्मी देवी	होना	श्रीमति बलवन्त देवी	सुरेन्द्रगढ़	के

क्रमांक 82 दिनांक 12.12.2020

ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत - धरमजयगढ़
जिला - रायचूर (छ.ग.)

समिति के

ग्राम पंचायत सुरेन्द्रगढ़

सुरेन्द्रगढ़

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार मधौदय,
तहसील धरमजयगढ
जिला-रायगढ (छ.ग.)

विषय- मुख्य मार्ग कार से धरमजयगढ में आने वाले राजस्व एवं
वन भूमि के वन अधिकार मान्यता पत्र के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वति लेख है कि धरमजयगढ से शुरू
मुख्य मार्ग का उन्मूलन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले
वन क्षेत्र हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत
व्यपवर्तित होने वाले वन भूमि एवं राजस्व भूमि के संबंध
में ग्रामवासियों एवं सभी कर्मचारियों से सूचनाएं किये
गये जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया कि व्यपवर्तित
भूमि प्रस्तावित जो शासकीय है उसमें किसी भी व्यक्ति के
व्यक्तिगत वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र नहीं मिला है
है।

अतः महोदय के द्वारा उचित कार्य हेतु सादर सलाम।


गोपाल कुमार

(गोपाल कुमार)
प.ड.नं.-07, रा.नि.मं.-धरमजयगढ
तह. धरमजयगढ (उ.ग.)

10/09/21

का कार्यवाही विवरण

ग्राम नउना ग्राम पंचायत नउना दिनांक 11/12/2020
 स्थान नउना आज दिनांक 11/12/2020 को ग्राम नउना के सरपंच श्री/श्रीमती बंधुराम

की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक में ग्राम सभा एवं वन समिति के धोब सदस्य 53/80 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम नउना में आवेदक A.D.B. ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु 82.641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.462 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 0.462 कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नहीं दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

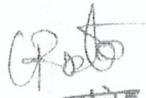
क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
①	<u>नउना</u>	<u>निरंठ</u>	<u>0.00</u>
②	<u>नउना</u>	<u>निरंठ</u>	<u>0.00</u>

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि 82.641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.462 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स डॉ. ए. ए. ए. (आवेदक) डॉ. ए. ए. ए. को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सरपंच बंधुराम सचिव गोपाल पटवारी सचिव वन धोब अध्यक्ष धोब वन अधिकार समिति नकला धोब हस्ताक्षर धोब अनुभाग-धरमजयगढ़ (छ.ग.) नाम धोब विहाराम

अनापत्ति प्रमाण पत्र

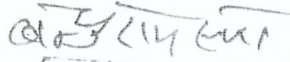
प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना प्रबंधक, छत्तीसगढ़ राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट), बिलासपुर द्वारा धरमजयगढ़ से कापू मार्ग का 2 लेन चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य की परियोजना ~~कु.सं. 6.4.1. उ.सं. 0.4.2~~ हेक्टेयर वन भूमि में प्रस्तावित है। वन क्षेत्र में उक्त निर्माण कार्य से ग्राम पंचायत ~~...~~ आश्रित ~~...~~ ग्राम ~~...~~ को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि पूर्ण सहमती है।



सचिव

ग्राम पंचायत - नकना

ज.प. - धरमजयगढ़



सरपंच

ग्राम पंचायत नकना

ज.प. - धरमजयगढ़

जिला रायगढ़ (छ.ग.)

हस्ताक्षर/सील हस्ताक्षर/सील

सचिव सरपंच

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रातेवदन

01. कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम चौड़िकरण के परिक्षेत्र वैश्य में कक्ष क्र० 641 वनभूमि 0.462 हे० हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।
02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 11/12/2020 राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।
03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किये जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।
04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।
05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।
06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के अधिकार
जमरगोड़ी

संयुक्त जांच

सरपंच

ग्राम पंचायत नकना
ज.पं. धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

गोपाल कुमार
(गोपाल कुमार)
स.नि.मं.-कापु
हाह, धरमजयगढ़ (छ.ग.)

अध्यक्ष

वन अधिकार समिति नकना
वनविभाग-धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन अधिकार समिति नकना

देवराज

जादर

St. Helena - 2001/2002

12/12/2012

9167 N K St

विद्या

2/4/20

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

क्र.	उपस्थित पंचों / सदस्यों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंखे
7	जुहियाराम एका		काज दिनों के 11/12/2020 को सरपंच की		
8	वैद्यनाथ राठौर		वक्तु राम एका के शक्यता में शोधित		
9	कोरम भुधरा	082	पंचायत बैठक में काज परमजगदई मा	परमजगदई	
10	शिवकुमार शर्मा	काज - धरम जगदई मा	32-596 एका में शक्यता परमजगदई	परमजगदई	
11	प्यारेलाल	32-596 1-1-2020	काज एका 64 एका 0482 दे	किशोर रेवा	
12	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	पंचायत में हो रहा है जिससे काज	किशोर रेवा	
13	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	काज अन्तर्गत काज शक्यता मा-मा		
14	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	अधिकार 2000 के तहत काज के		
15	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	किशोर व्यक्तियों का काज अधिकार पर		
16	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	पंच गरी दुका एका काज परमजगदई		
17	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	काज निवासियों का काज 32-596 के तहत		
18	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	शासन द्वारा संयोजित कोई शक्यता		
19	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	विधायक नहीं है जिससे काज काज		
20	अमरम	काज एका के काज परमजगदई	को कोई काज नहीं है		
21	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
22	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
23	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
24	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
25	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
26	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
27	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
28	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
29	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
30	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
31	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
32	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
33	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
34	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
35	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
36	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
37	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
38	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
39	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
40	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
41	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
42	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
43	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
44	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
45	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
46	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
47	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
48	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
49	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
50	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
51	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
52	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
53	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
54	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
55	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
56	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
57	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
58	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
59	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
60	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
61	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
62	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
63	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
64	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
65	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
66	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
67	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
68	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
69	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
70	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
71	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
72	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
73	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
74	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
75	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
76	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
77	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
78	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
79	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
80	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
81	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
82	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
83	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
84	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
85	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
86	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
87	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
88	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
89	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
90	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
91	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
92	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
93	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
94	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
95	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
96	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
97	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
98	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
99	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			
100	अमरम	काज एका के काज परमजगदई			

पिण्ड.

रा प - न क य
रा प - ध र म जि स ग ङ

पृ. ५ - अरविचिंतन

ग्राम पंचायत